

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 215

No. 225]

DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

[N.C.T.D. No. 215

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2016

सं.फा. 3(17)/2016/मोनू/1691.- दिल्ली पुरातन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 9) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिनांक 7 सितम्बर, 2005 को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि नियत करते हैं जो उसी तिथि से प्रभावी समझा जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
वी. अब्राहम, सचिव (कला एवं संस्कृति)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

NOTIFICATION

Delhi, the 25th October, 2016

No.F.3(17)/2016/Monu./1691 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Delhi Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 2004 (Delhi Act 9 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 7th September, 2005 as the date on which the said Act shall be deemed to have come into force.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
V. ABRAHAM, Secy. (Art & Culture)